

न्यायालय उपजिलाधिकारी खेरागढ़, जिला आगरा।

वद संख्या 12/10-11

स्वराज कॉलेज ऑफ एजुकेशन द्वारा श्रीमती मंजू गुप्ता पत्नी बी०क०के० गुप्ता सचिव शान्ती निकेतन चैरिटे बिल बैल फेयर सोसायटी पंजी० कार्यालय 2/363ए नामनेर आगरा।

बनाम

सरकार,

अन्तर्गत धारा 143 ज०वि०अ०

मौजा तेहरा तहसील खेरागढ़

प्राख्यापन

तहसीलदार खेरागढ़ की आख्या दिनांक 16.04.2012 से सन्तुष्ट होकर मौजा तेहरा तहसील खेरागढ़ जिला आगरा की निम्नांकित भूमि को उ०प्र० ज०वि०अ० एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1951 की धारा 143 सहवादित नियम 135(3) के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि नीचे वर्णित भूमि कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कट पालन जिसके अन्तर्गत संवर्धन नहीं, किया जा रहा है और ना ही इस उपयोग में आ रही है।

प्रा. का नाम, तहसील व जिला	भूमिधर का नाम व पता स्वराज कॉलेज ऑफ एजुकेशन द्वारा	भूखण्ड संख्या व क्षेत्रफल	भू-राजस्व
मौजा तेहरा तहसील खेरागढ़ जिला आगरा	श्रीमती मंजू गुप्ता पत्नी बी०क०के० गुप्ता सचिव शान्ती निकेतन चैरिटे बिल बैल फेयर सोसायटी पंजी० कार्यालय 2/363ए नामनेर आगरा।	खाता संख्या 724 के गाटा संख्या 260ग रकबा 0.2990 हेक्टेयर	8.75 रु०

उपरोक्त भूमि को उक्त व्यक्ति के नाम, अकृषिक भूमि होने के कारण भू-राजस्व से मुक्त किया जाता है।

उपजिलाधिकारी,
खेरागढ़, आगरा।

प्रतिलिपि:

1. उपनिबंधक खेरागढ़ को दो प्रतियों में इस आशय से प्रेषित कि इस प्राख्यापन की एक प्रति पृष्ठाकन उपरान्त इस न्यायालय को वापस भेजे।
2. तहसीलदार खेरागढ़ को दो प्रतियां अमलदरामद हेतु।



उपजिलाधिकारी,
खेरागढ़, आगरा।

20/4/12

मंजूर

न्यायालय उपजिलाधिकारी खेरागढ़, जिला आगरा।

वाद संख्या 12/10-11

स्वराज कॉलेज ऑफ एजुकेशन द्वारा श्रीमती मंजू गुप्ता पत्नी बी०क०के० गुप्ता सचिव शान्ती निकेतन चैरिटे बिल बैल फेयर सोसायटी पंजी० कार्यालय 2/363ए नामनेर आगरा।

बनाम

सरकार

अन्तर्गत धारा 143 ज०वि०अ०

मौजा तेहरा तहसील खेरागढ़

चाहती हूँ निर्णय दिनांक 20-4-12

प्रस्तुत वाद श्रीमती मंजू गुप्ता पत्नी बी०क०के० गुप्ता सचिव शान्ती निकेतन चैरिटे बिल बैल फेयर सोसायटी पंजी० कार्यालय 2/363ए नामनेर आगरा। के प्रार्थना पत्र दिनांक 10-04-2012 पर प्रारम्भ हुयी, आवेदक का कथन है कि वह मौजा तेहरा के खाता संख्या 724 के गाटा संख्या 260ग रकवा 0.2990 हेक्टेयर लगानी 9.05 रुपया की संक्रमणीय भूमिधर काश्तकार मालिक काविज व स्वामिनी हूँ तथा प्रार्थीया की संस्था उपरोक्त भूमि 0.2990 हेक्टेयर पर कॉजेल संचालित है तथा बिल्डिंग बनायी जा रही हैं प्रार्थीया की उक्त संस्था को उक्त भूमि का बिना बजय लगान अदा करना पड रहा हैं इसलिए प्रार्थीया अपनी उपरोक्त भूमि 0.2990 हेक्टेयर लगानी 9.05 रुपया की भूमि का अकृषकीय घोषित कराना चाहती है। उक्त आराजी भाग में किसी प्रकार का कोई कृषि कार्य, मत्स्य पालन, कुटकुट पालन व पशुपालन इत्यादि कार्य नहीं किया जा रहा हैं। अन्त में उसने उक्त स्कूल के नाम अंकित भूमि को आवादी घोषित कर लगान मुक्त किये जाने की प्रार्थना की है प्रार्थी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर तहसीलदार खेरागढ़ से जाँच आख्या मांगी गयी, तहसीलदार खेरागढ़ ने राजस्व निरीक्षक से आख्या प्राप्त कर एवं नियम 135(1) ज०वि०अ० के तहत नियत प्रारूप पर विस्तृत आख्या दिनांक 16.04.2012 में लिखा है कि प्रश्नगत सम्पत्ति तेहरा तहसील खेरागढ़ जि० आगरा के खाता संख्या 724 के गाटा संख्या 260ग रकवा 0.2990 हेक्टेयर लगानी 9.05 रुपया की संक्रमणीय भूमिधर काश्तकार मालिक काविज व स्वामिनी हूँ तथा प्रार्थीया की संस्था उपरोक्त भूमि 0.2990 हेक्टेयर पर कॉजेल संचालित है तथा बिल्डिंग बनायी जा रही हैं प्रार्थीया की उक्त संस्था को उक्त भूमि का बिना बजय लगान अदा करना पड रहा हैं इसलिए प्रार्थीया अपनी उपरोक्त भूमि 0.2990 हेक्टेयर लगानी 9.05 रुपया की भूमि का अकृषकीय घोषित कराना चाहती है। उक्त आराजी भाग में किसी प्रकार का कोई कृषि कार्य, मत्स्य पालन, कुटकुट पालन व पशुपालन इत्यादि कार्य नहीं किया जा रहा हैं। उक्त भूमि को धारा 143 के अन्तर्गत आवादी घोषित किये जाने हेतु संस्तुति की है, वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया व मेने पत्रावली का सम्यक परीक्षण किया, मौजा तेहरा तहसील खेरागढ़ जि० आगरा के खाता संख्या 724 के गाटा संख्या 260ग रकवा 0.2990 हेक्टेयर लगानी 9.05 रुपया कृषि कार्य के



मंजू गुप्ता

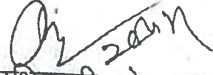
28/4/12

प्रयोग में नहीं आ रही है। उक्त गाटा संख्याओं में वर्णित उक्त भूमि में मत्स्य पालन एवं कुत्त पालन के प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है। को अकृषिक घोषित किये जाने योग्य हैं।

आदेश

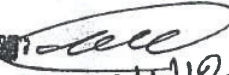
अतः आदेश हुआ कि मौजा तेहरा तहसील खेरागढ जि० आगरा के खाता संख्या 724 ग संख्या 260 ग रकबा 0.2990 हेक्टेयर लगानी 9.05 रुपया पर स्वराज कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा श्रीमती मंजू गुप्ता पत्नी बी०कके० गुप्ता सचिव शान्ती निकेतन चैरिटे बिल पर सोसायटी पंजी० कार्यालय 2/363 ए नामनेर आगरा को धारा ३० प्र० ज० वि० अ० १९५० की धारा 143 के अन्तर्गत तहसीलदार खेरागढ की आख्या दिनांक 16.04.2012 के आधार पर अकृषिक घोषित कर भू-राजस्व से मुक्त किया जाता है आदेश की एक प्रति तहसीलदार खेरागढ व उपनिबंधक खेरागढ को भेजी जाए प्राख्यापन जारी हो। वाद कार्यवाही इस न्यायालय की पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।




उपजिलाधिकारी खेरागढ,
आगरा।

TRUE COPY

Presiding Officer
28/5/12

क्रमांक ४५
मापदक का नाम श्री 
मापदक की तिथि 27/5/12
प्रति तैयार होने की तिथि 28/5/12
एकरी की संख्या 486 
गुण्य 
दिनांक 
प्रति निवेदन : 
28/5/12

